

श्रीमान उपावठ अधिकारी महो.
रामगंजमण्डी

रिपोर्ट पश्चारी मोडक व मू. अ. नं० मोडक वी.
अनुसार रिपोर्ट के क्रमिक खण्ड नम्बरान के प्र
अनुसार इकट्ठे करने की अनुशंसा की जाती है।

मि० नं० 82
2018

तहसीलदार
रामगंजमण्डी

न्यायालय उपावठ अधिकारी रामगंजमण्डी

हल्व रिपोर्ट पश्चारी, मॉन्च और अभिलेख
निरीक्षण एवं तहसीलदार रामगंजमण्डी की अनु-
शंसा अनुसार इकट्ठी की स्वीकृति की जाती
है L.R. Rules, 1957 के Rule. 62 के अनुसार
नम्बर अंदाजी की जावे।

सूच्य
30.8.18
उपावठ अधिकारी
रामगंजमण्डी